404
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 4, 5

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक : 1 फरवरी 1989 ई०

वृहस्पतिवार, दिनांक : 2 फरवरी 1989 ई०

सड़क का निर्माण

499. श्री रविन्द्र प्रसाद शाही : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(1) क्या यह बात सही है कि भीट्ठा मोड़ यदुपट्टी बाजार तक की सड़क सन्न 1987 की बाढ़ से काफी क्षतिग्रस्त हो गई है जो नेपाल सीमा तक जानेवाली एक मात्र सड़क है जिसकी मरम्मत गत वर्ष से नहीं कराया जा रहा है,

(2) यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री : (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। भिट्ठा मोर यदुपट्टी बाजार पथ के बाढ़ से क्षतिग्रस्त अंश पर पथ का आवागमन चालू करा दिया गया है।

(2) क्षतिग्रस्त पथ की मरम्मती हेतु प्राप्त प्राक्कलन की स्वीकृति एवं निधि उपलब्ध होने के पश्चात् ही यह कार्य कराना संभव हो सकेगा। अभी वित्तीय संकट के कारण पूर्णरूपेण मरम्मती करना संभव नहीं है।

श्री प्रसाद का स्थानान्तरण

505. श्री सतीश चन्द्र झा : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(1) क्या यह बात सही है कि श्री लक्ष्मी प्रसाद, कनीय अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल संख्या-1, बागमती नगर,

जिला–सितामढ़ी, सीतामढ़ी अंचल में विगत 12 वर्षों से कार्यरत है।

(2) क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित अभियंता ने स्टोर के समान की चोरी कर बेचने का कार्य किया था जिसकी जाँच के लिए आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी ने पत्रांक 385/गो० दिनांक 2.2.87 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, बागमती परियोजना, सीतामढ़ी को दिया था।

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्री प्रसाद के प्रभार के स्टोर का भौतिक सत्यापन कराकर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण करते हुए कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

श्री लहटन चौधरी : (1) ये बागमती नगर में 31.1.79 को पदस्थापित हुए थे।

(2) यह बात सही है कि इन आरोपों के संबंध में आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी ने अधीक्षण अभियंता, बागमती परियोजना सीतामढ़ी को पत्र दिया है।

(3) स्टोर के प्रभार का भौतिक सत्यापन हेतु मुख्य अभियंता को शीघ्र सत्यापन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

श्री प्रसाद, कनीय अभियंता को उक्त क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

पथ का चौड़ीकरण

508. **श्री टेकलाल महतो** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :